


13.11.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी को लगातार नोट करवाया जा रहा है। कोई अमन नहीं हो रहा। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असातन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता व वादी के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़